

# न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं० : 65/17

अनवान :


1. हनुमानसिंह पुत्र दुनीराम जाति कुम्हार निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थी

## बनाम

1. पूनमचन्द
  2. महेन्द्रसिंह
  3. धर्मपाल
  4. राजेश
  5. नरेश
- पिसरान दुनीराम जाति कुम्हार निवासीगण छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
- पिसरान राजेन्द्र जाति कुम्हार निवासीगण छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने बाबत

अन्तर्गत धारा 251(क) राज०काश्तकारी अधिनियम  
1955 एवं सहपठित धारा 8(2) राज० जनरल कॉलोनी  
कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : प्रार्थी

निर्णय

दिनांक : 6.12.17

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक 4 जेजीडब्ल्यु की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता सं० 85/76 के मु०नं० 13 के किला नं० 3 की 0.253 है० नहरी 0.240 है० रास्ता 0.013 है० किला नं० 8 की 0.100 है० नहरी मु०नं० 84 के किला नं० 21/1 की 0.157 है० बारानी किला नं० 22 की 0.192 है० बारानी, मु०नं० 93 के किला नं० 4/1 की 0.070 है० बारानी किला नं० 5, 6 के प्रत्येक किला की 0.253 है० बारानी, किला नं० 7 की 0.071 है० बारानी कुल 1.349 है० नहरी 0.340 है० बारानी 0.996 है० रास्ता 0.013 है० भूमि खातेदारी प्रार्थी के नाम दर्ज और अप्रार्थी सं० 1 पूनमचन्द के नाम और मु०नं० 13 के किला नं० 1 की 0.164 है० नहरी 0.151 है० रास्ता 0.013 है० किला नं० 2 की 0.229 है० नहरी, 0.216 है० रास्ता 0.013 है० मु०नं० 84 के किला नं० 12 की 0.159 है० बारानी किला नं० 19/1 की 0.193 है० बारानी और मु०नं० 93 के किला नं० 1 की 0.220 है० बारानी, किला नं० 10/1 की 0.220 है० बारानी किला नं० 11 की 0.220 है० बारानी कुल 1.405 है० नहरी 0.367 है० बारानी 1.012 है० रास्ता 0.026 है० भूमि खातेदारी दर्ज है और अप्रार्थी सं० 2 महेन्द्र सिंह के नाम मु०नं० 13 के किला नं० 8/2 की 0.088 है० नहरी किला नं० 13 की 0.253 है० नहरी, मु०नं० 84 के किला नं० 18 की 0.253 है० बारानी, किला नं० 19 की 0.060 है० बारानी किला नं० 22/1 की 0.061 है० बारानी मु०नं० 93 के किला नं० 3/1 की 0.099 है० बारानी, किला नं० 4 की 0.183 है० बारानी किला नं० 7/1 की 0.182 है० बारानी, किला नं० 8 की 0.099 है० बारानी किला नं० 13/1 की 0.098 है०

बारानी कुल 1.376 है0 नहरी 0.341 है0 बारानी 1.035 है0 भूमि खातेदारी और अप्रार्थी सं0 3 धर्मपाल के नाम की मु0नं0 13 के किला नं0 1/1 की 0.089 है0 नहरी, किला नं0 10 की 0.253 है0 नहरी, मु0नं0 84 के किला नं0 20 की 0.253 है0 बारानी, किला नं0 21 की 0.096 है0 बारानी, मु0नं0 93 के किला नं0 1/1 की 0.033 है0 बारानी, किला नं0 2 की 0.187 है0 बारानी किला नं0 9/1 की 0.187 है0 बारानी किला नं0 10 की 0.033 है0 बारानी किला नं0 11/1 की 0.033 है0 बारानी, किला नं0 12 की 0.187 है0 बारानी कुल 1.351 है0 नहरी 0.342 है0 बारानी 1.009 है0 भूमि खातेदारी और अप्रार्थी सं0 4 राजेश के नाम की मु0नं0 13 के किला नं0 2/1 की 0.012 है0 नहरी किला नं0 9/1 की 0.159 है0 नहरी, मु0नं0 84 के किला नं0 13/1 की 0.170 है0 बारानी मु0नं0 93 के किला नं0 2/1 की 0.066 है0 बारानी किला नं0 3 की 0.154 है0 बारानी किला नं0 8/1 की 0.087 है0 बारानी किला नं0 9 की 0.038 है0 बारानी कुल 0.686 है0 नहरी 0.171 है0 बारानी 0.515 है0 भूमि खातेदारी और अप्रार्थी सं0 5 नरेश के नाम भूमि मु0नं0 13 के किला नं0 2/2 की 0.012 है0 नहरी, किला नं0 8/3 हि 0.065 है0 नहरी किला नं0 9 की 0.094 है0 नहरी मु0नं0 84 के किला नं0 12/1 की 0.094 है0 बारानी किला नं0 13 की 0.083 है0 बारानी मु0नं0 93 के किला नं0 8/2 की 0.067 है0 बारानी किला नं0 9/2 की 0.028 है0 बारानी किला नं0 12/1 की 0.066 है0 बारानी किला नं0 13 की 0.155 है0 बारानी कुल 0.664 है0 नहरी 0.171 है0 बारानी 0.493 है0 भूमि खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए। मुताबिक राजीनामा रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 4 जेजीडब्ल्यू में स्थित कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जरिये ई0नं0 1256 दिनांक 22.03.2017 को संयुक्त खाते की भूमि में खाता विभाजन करवाया जाना व प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा आवागमन के लिए रास्ता की भूमि छोड़े जाने के कथन अंकित किये हैं परन्तु तहसीलदार को रास्ता स्वीकृति की शक्तियां नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं हो पाया था अब प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत कर उक्त आवागमन के लिए छोड़े गये रास्तों को स्वीकृत करवाने के लिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 8(2) कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 पर सहमति कर ली है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र का कोई खण्डन प्रस्तुत नहीं हुआ है।

अतः : मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 8(2) कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 का स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी सं0 1 पूनमचन्द की भूमि चक 4 जेजीडब्ल्यू के मु0नं0 13 के किला नं0 2 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण 0.011 है0 तथा इसी किला नं0 2 के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम 0.013 है0 मु0नं0 84 के किला नं0 19/1 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम 0.010 है0, मु0नं0 93 के किला नं0 1 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.011 है0 अप्रार्थी सं0 2 महेन्द्र सिंह की भूमि में मु0नं0 84 के किला नं0 19 पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण 0.013 है0 किला नं0 22/1 में पश्चिम

हनुमानसिंह बनाम पूनमचन्द आदि

तरफ उतर से दक्षिण 0.013 है0 तथा इसी किला नं0 22/1 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम 0.003 है0 मु0नं0 93 के किला नं0 3/1 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.005 है0 किला नं0 4 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.009 है0 अप्रार्थी सं0 3 धर्मपाल की कृषि भूमि में मु0नं0 93 के किला नं0 1/1 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.002 है0 किला नं0 2 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.009 है0, अप्रार्थी सं0 4 राजेश की कृषि भूमि में मु0नं0 93 के किला नं0 2/1 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.003 है0 तथा इसी किला नं0 2/1 के पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण 0.013 है0 किला नं0 3 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.008 है0, किला नं0 9 में पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण 0.006 है0 तथा अप्रार्थी सं0 5 नरेश की कृषि भूमि में मु0नं0 13 के किला नं0 2/2 में पूर्वी तरफ उतर से दक्षिण 0.001 है0 किला नं0 8/3 में उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम 0.003 है0, किला नं0 9 में उतरी पूर्वी तरफ 0.001 है0, मु0नं0 84 के किला नं0 12/1 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम 0.001 है0 किला नं0 13 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम 0.004 है0 भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 6/12/12 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकुमार कस्वा)

उपसखण्डाधिकारी (राज R.A.S.)

भादरा उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़